FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, मुकाम जयपुर

सीताराम वगैराह बनाम कल्याणसहाय वगैराह

किस्म मुकदमा ......अपील...... संख्या ......50 / 2021......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.08.2021	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट की बहस एडमिशन एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रतित होता है कि अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील तहसीलदार नांगल राजावतान जिला दौसा के द्वारा नामान्तकरण संख्या 1128 ग्राम लाहडी का बास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा पर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.04.2021 के विरूद्ध पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.04.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील की सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को प्रदत नही है। ऐसी स्थिति में अपील पर अग्रिम कार्यवाही न्यायालय हाजा के स्तर पर संभव नही है तथा अपीलांट की अपील एडमिशन स्तर पर ही खारिज किया जाना उचित है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परिणामतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। यदि अपीलार्थी को कोई आपत्ति है तो वे सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिये स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय विधिवत सूचित हो। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो। 3/8/2021 (बाबूलाल गोयल) अति.संभागीय आयुक्त, जयपुर	

Scanned by CamScanner

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त महोदय

जयपुर सम्भाग जयपुर

1 सीताराम पुत्र कल्याणसहाय

2 हेमन्त कुमार पुत्र सीताराम

3 मिलिन्दकुमार पुत्र सीताराम

जाति खटीक निवासी ग्राम लाहडी का बास तहसील

नांगल राजावतान जिला दौसा

– अपीलांट्स

बनाम

1 कल्याणसहाय पुत्र काल्या

2 भौरीलाल पुत्र कल्याणसहाय

3 श्रीनारायण पुत्र कल्याणसहाय

जाति खटीक निवासी ग्राम लाहडी का बास तहसील

नांगल राजावतान जिला दौसा

4 राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार नांगल राजावतान

जिला दौसा '– प्रत्यर्थीगण

<u>अपील विरूद्ध नामान्तरकरण आदेश योग्य अधिनस्थ तहसीलदार तहसील नांगल राजावतान दिनांक 1-4-21 बनामान्तरकरण संख्या</u>

Scanned by CamScanner